

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुझुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीएसएम नं. 2023/195
मुकदमा नम्बर 78/2023

दायर दिनांक-12.06.2023

मानसिंह पुत्र लादुराम जाति जाट निवासी सुलतानपुरा तहसील नवलगढ़, जिला झुझुनू
..... वादी

1. कृष्ण कुमार पुत्र हरफूल सिंह
2. विजेन्द्र कुमार पुत्र हरफूल सिंह
3. सुरेन्द्र सिंह पुत्र हरफूल सिंह
4. बनारसी पत्नी हरफूल सिंह
5. निकिता पुत्री महावीर प्रसाद
6. राहुल पुत्र महावीर प्रसाद
7. विकास कुमार पुत्र महावीर प्रसाद
8. सुमन देवी पत्नी महावीर प्रसाद समस्त जाति जाट निवासीगण सुलतानपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुझुनू
9. शाखा प्रबन्धक राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा घुमचक्कर नवलगढ़
10. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा नवलगढ़ तहसील नवलगढ़
11. तहसीलदार नवलगढ़, जिला झुझुनू

..... प्रतिवादी

दावा - विभाजन

प्रतिनिधित्व:-


वकील वादी- श्री सुरेन्द्र सिंह भरा
वकील प्रतिवादी 1 लगा. 8- श्री सुरेन्द्र बेरवाल (इकबालिया जवाब)
वकील प्रतिवादी सं. 9 व 10- हित सुरक्षित रखते हुए एक पक्षीय।
प्रतिवादी सं. 11 - पैरो. राज.

-:निर्णय:-


निर्णय दिनांक 24.05.2024

वाद वादी दिनांक 17/07/2023 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर डिकी किया गया था तथा तहसीलदार नवलगढ़ को मौका कमीशनर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक प्राथमिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी में कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया था। तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक भूअ./23/1214 दिनांक 13/10/2023 द्वारा प्रस्तुत किया गया। वकील वादी द्वारा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव सहमति व्यक्त की गई। विभाजन प्रस्ताव न्यायोचित होने से वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। सुलभ संदर्भ हेतु प्राथमिक निर्णय व विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा उक्त निर्णय का भाग होगा।

तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय व विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड दुरुस्त कर आवश्यक अमलदरामद करे। राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के


उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुझुनू)

अनुरूप बंटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो। पञ्जावली फंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 24.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(जयसिंह)ras
उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़

(ओ 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ
श्री जयसिंह (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

जीएसएम न. 2023/195

मुकदमा नम्बर 78/2023

दायर दिनांक-12.06.2023

(भान सिंह बनाम कृष्ण कुमार वगै0)

दावा - विभाजन

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू श्री जयसिंह (आर0ए0एस0), उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी. वकील वादीगण मनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब- मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

वाद वादी दिनांक 17/07/2023 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर डिकी किया गया था तथा तहसीलदार नवलगढ को मौका कमीशनर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक प्राथमिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी मे कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत् आदेशित किया गया था। तहसीलदार नवलगढ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक भू.अ./23/1214 दिनांक 13/10/2023 द्वारा प्रस्तुत किया गया। वकील वादी द्वारा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव सहमति व्यक्त की गई। विभाजन प्रस्ताव न्यायोचित होने से वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। सुलभ संदर्भ हेतु प्राथमिक निर्णय व विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा उक्त निर्णय का भाग होगा।

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय व विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड दुरुस्त कर आवश्यक अमलदरामद करे। राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे।

जन.....-..... मुबलिग.....-..... बाबत.....-..... खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह...
...-..... फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक-..... का अदा करे।
बस्वत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 24 माह 05 सन 2024 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ

	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
मुद्दई			
स्टाम्प अर्जी दावा	4.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	1.00	स्टाम्प वकालतनामा	1.00
स्टाम्प वजह सबूत	-	स्टाम्प अर्जी	-
महनताना वकील	-	महनताना वकील	-
खर्चा गवाहान	-	खर्चा गवाहान	-
फीस कमिश्नर	-	फीस कमिश्नर	-
बाबत इजराय हुक्मनामा	-	बाबत इजराय हुक्मनामा	-
मुतफरिक मिजान	1.00	मुतफरिक मिजान	0.00